



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-०३-

क्रमांक-२०७/२०१७

आरबीई सं०-१२०/२०१७

सं० ई/९/१०/कम्पाई (चार)

दिनांक ११-१०-२०१७

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-समाप्त कर दिये गए भत्तों का भुगतान-दैनिक स्थानापन्न भत्ता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पी एण्ड ए)।-२०११/एफई-४/१ दिनांक ०५०९२०११ की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि/अपर
कृते महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - ४० प्रतियों में।
- २- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ३- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ४- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - ०१ प्रति में।
- ५- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-०२ प्रति में।
- ६- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - ०१ प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक

25

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 56
RBE No. 120/2017
New Delhi, dated 05.09.2017.

No. E(P&A)-I-2011/FE-4/1

New Delhi, dated 05.09.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NER, Gorakhpur

Sub: Payment on account of discontinued allowances – Daily Officiating Allowance.

Consequent upon the decision taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide that disbursement of all existing allowances which have not been specifically recommended for continuation in terms of the Ministry of Finance's Resolution dated 6th July, 2017 shall be discontinued from 1st July, 2017. Since, the Daily Officiating Allowance has not been specifically recommended for continuation in the said Resolution dated 6th July, 2017, it ceases to exist with effect from 1st July 2017.

2. It shall be the responsibility of the Heads of the Department to ensure that no bill relating to disbursement in respect of Daily Officiating Allowance is drawn by the Head of Office/Drawing & Disbursing Officers under their purview/jurisdiction. Pay and Accounts Officers shall ensure that no payment is effected if any such bill relating to the disbursement of the discontinued allowance is submitted to them. If such bills are received, they should be returned to the DDO and intimation thereof shall also be given to the Head of the Department and the Chief Controller of Accounts.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)

Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)-I-2011/FE-4/1

New Delhi, dated 05.09.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)-I-2011/FE-4/1

New Delhi, dated 05.09.2017

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, ARF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NER, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).

Recd
5-10-2017

21/09/17
RBE

15.09.17
RBE
ADDN/17
RBE

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 56

आरबीई सं. 120/2017

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

सं. ई(पी एंड ए)-2011/एफई-4/1

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: समाप्त कर दिये गए भत्तों का भुगतान - दैनिक स्थानापन्न भत्ता।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय करते हैं कि सभी उन मौजूदा भत्तों, जिन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार जारी रखने के लिए विशिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई है, को 1 जुलाई, 2017 से समाप्त कर दिया गया जाएगा। चूंकि 6 जुलाई, 2017 के उक्त संकल्प में दैनिक स्थानापन्न भत्ते को जारी रखने के लिए विशिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई है इसलिए यह भत्ता 1 जुलाई, 2017 से समाप्त कर दिया गया है।

2. विभाग के अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी सीमा/अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालय के प्रधान/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दैनिक स्थानापन्न भत्ते के संवितरण से संबंधित किसी बिल को आहरित नहीं किया जाता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि समाप्त कर दिये गए भत्ते के संवितरण से संबंधित कोई ऐसा बिल उनके प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे बिल प्राप्त होते हैं तो उन्हें डीडीओ को वापस लौटा दिया जाना चाहिए और इस बारे में विभाग के अध्यक्ष तथा मुख्य नियंत्रक को भी सूचित किया जाएगा।

3. इसे रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

सं. ई(पी एंड ए)-2011/एफई-4/1

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महाप्रबंधक को भेजी जा रही है।
नं. 222 रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रोपित।